

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप वन संरक्षक, सीकर (राजस्थान)

(सांवली रोड़, सीकर-332001, Ph. No. 01572-274094, email : dcf.sikar.forest@rajasthan.gov.in, dcf.sikar@gmail.com)

क्रमांक : एफ ()एफसीए/उवसंसी/2022-23/ 7754

दिनांक : 27/7/23

निमित्त:-

मुख्य वन संरक्षक,
अरावली भवन,
जयपुर।

विषय:- Diversion of 0.7875 Ha. (Revised area 0.9060 ha.) Forest land For Construction of Missing link road from "Laxmangarh-Salasar to Rajas Via Chouhano ki dhani, Gouru ka bas, Khejaroliyan ki dhani & Miyan ki Dhani" in Rajas P.F., Range Laxmangharh, Village-Rajas, Tehsil-Laxamgarh, Distt-Sikar (Raj.)

(Proposal no. FP/RJ/ROAD/33785/2018)

संदर्भ:- अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. खण्ड-फतेहपुर, सीकर का पत्रांक 268 दिनांक 30.05.2023 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर का पत्रांक 4079-80 दिनांक 02.12.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि वन भूमि डायवर्जन प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/33785/2018 क्षेत्र 0.9060 है0 में यूजर एजेंसी अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. खण्ड-फतेहपुर, सीकर ने पत्रांक 268 दिनांक 30.05.2023 से अवगत कराया है कि वनखण्ड राजास की रक्षित वन भूमि में से पूर्व में प्रचलित सड़क मार्ग राजास से रोरु पर डामरीकरण कार्य पूर्व में किये गये ग्रेवल व डब्ल्यू.बी.एम. पर ही किया गया था। जिसकी पूर्व में कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है। उक्त सड़क मार्ग पर राज्य सरकार द्वारा तत्समय में संचालित विभिन्न योजनाओं रोजगार गारंटी योजना, जवाहर रोजगार योजना एवं अकाल राहत योजना के तहत पहले ग्रेवल सड़क का निर्माण हुआ तथा तत्पश्चात् अलग-अलग टुकड़ों में ग्रेवल सड़क का डामरीकरण व अपग्रेड कार्य किया गया है तथा उक्त डामरीकरण वर्ष 2008 में किया गया है। तत्समय पदस्थापित सहायक अभियन्ता श्री भंवानी शंकर शर्मा का देहान्त होना अवगत कराया है। वर्तमान में निम्बी जोधा मुकुन्दगढ़ सड़क की चौड़ाईकरण एवं सुदृढीकरण हेतु स्वीकृति प्राप्त हुई है जिसके कारण इस डायवर्जन प्रकरण को विज्ञा करने की अनुमति चाही गयी है।

रिपोर्ट श्रीमान् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:-उक्तानुसार।

भवदीय,

(वीरेन्द्र सिंह कृष्णियां)
उप वन संरक्षक,
सीकर

राजस्थान सरकार

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. खण्ड-फतेहपुर, सीकर (राजस्थान)

क्रमांक : 268

दिनांक : 30/5/2023

निमित्त :- श्रीमान् उप वन संरक्षक,
सीकर।

विषय:- Diversion of 0.7875 Ha. (Revised area 0.9060 ha.) Forest land For Construction of Missing link road from "Laxmangarh-Salasar to Rajas Via Chouhano ki dhani, Gouru ka bas, Khejaroliyan ki dhani & Miyan ki Dhani" in Rajas P.F., Range Laxmangharh, Village-Rajas, Tehsil-Laxamgarh, Distt-Sikar (Raj.)
(Proposal no. FP/RJ/ROAD/33785/2018)

संदर्भ:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर का पत्रांक 4078 दिनांक 02.12.2022 एवं आपका ई.डी.एस दिनांक 08.05.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर का पत्रांक 4078 दिनांक 02.12.2022 द्वारा लगाये गये ई.डी.एस. के क्रम में निम्नानुसार निवेदन है-

1. वनखण्ड राजास की रक्षित वन भूमि में से पूर्व में प्रचलित सड़क मार्ग राजास से रोरु पर डामरीकरण कार्य पूर्व में किये गये ग्रेवल व डब्ल्यू.बी.एम. पर ही किया गया था। जिसकी पूर्व में कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई। उक्त सड़क मार्ग पर राज्य सरकार द्वारा तत्समय में संचालित विभिन्न योजनाओं रोजगार गारंटी योजना, जवाहर रोजगार योजना एवं अकाल राहत योजना के तहत पहले ग्रेवल सड़क का निर्माण हुआ तथा तत्पश्चात् अलग-अलग टुकड़ों में ग्रेवल सड़क का डामरीकरण व अपग्रेड कार्य किया गया है तथा आलौच्य सड़क राजास से रोरु का डामरीकरण वर्ष 2008 में किया गया है। तत्समय श्री भवानी शंकर शर्मा, सहायक अभियन्ता, उपखण्ड फतेहपुर पदस्थापित थे तथा इनका देहान्त हो चुका है।
2. चूंकि प्रस्तावित सड़क वनखण्ड राजास के अन्दर प्रस्तावित थी जिससे उक्त वनखण्ड दो भागों में विभाजित हो रहा है तथा उक्त सड़क मार्ग ग्रामीण श्रेणी की सड़क है जिसका कम महत्व है। इसी वनखण्ड में पूर्व में रोरु से राजास सड़क मार्ग निर्माण हुआ है। जो एमडीआर-180 निम्बीजोधा से मुकुन्दगढ का भाग है। इस कारण उक्त प्रस्तावित सड़क मार्ग "Laxmangarh-Salasar to Rajas Via Chouhano ki dhani, Gouru ka bas, Khejaroliyan ki dhani & Miyan ki Dhani" के प्रस्ताव को विद्वा किया जाता है। कृपया नियमानुसार उक्त प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/33785/2018 को विद्वा करने की स्वीकृति प्रदान करें। प्रस्तावित सड़क मार्ग पर विभाग द्वारा कोई गैर वानिकी कार्य नहीं किया गया है।



भवदीय,

(सुधीर कुमार)

अधिशाषी अभियन्ता

सा.नि.वि. खण्ड-फतेहपुर

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग-वृत्त सीकर

(डाक बंगला कैम्पस सीकर 332001; email : piu_sikar1@rediffmail.com, seskr.pwd@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-एस.ई./सीकर/2022/डी :- 4138

दिनांक :- 10/03/2023

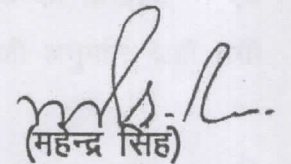
अधिशायी अभियन्ता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
खण्ड-फतेहपुर।

विषय :- Proposed for diversion of 0.9060 ha. area for construction of Missing link BT road from "Laxmangarh-salasar (Ms-10/2KM) to Rajas Via Choudhano ki Dhani, Gouru ka bas, khejeroliyan ki dhani & Miyan ki Dhani Range- Laxmangarh, Village- Rajas, Tehsil Laxmangarh Distt. Sikar. Proposal No. FP/RJ/ROAD/33785/2018 को विज्ञा करने के संबंध में।

प्रसंग :- आपका पत्रांक 3251 दिनांक 09.03.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त मिसिंग लिंक सडक हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण की कार्यवाही प्रगतिरत है। परन्तु वर्तमान में निम्नी जोधा मुकुन्दगढ सडक किमी 72/0 से 92/0 (एमडीआर-180) की चौडाईकरण एवं सुदृढीकरण हेतु कार्यालय मुख्य अभियन्ता सानिवि राजस्थान जयपुर के प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक एसएफ(आर)/डी-2651 दिनांक 28.10.2022 द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है तथा निविदा स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। उक्त सडक एमडीआर श्रेणी की है सडक में भी वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु ऑनलाईन अपलोड किया जाना आवश्यक है। यह सडक अधिक महत्वपूर्ण होने के कारण एवं एक ही फोरेस्ट ब्लॉक से दो भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरणों की अनुमती वन विभाग से मिलना संभव नहीं होने के कारण लक्ष्मणगढ-सालासर सडक से राजास सडक के वन भूमि प्रत्यावर्तन Proposal No. FP/RJ/ROAD/33785/2018 को विज्ञा करने की अनुमति प्रदान की जाती है।



(महेन्द्र सिंह)
अधीक्षण अभियन्ता
सा.नि.वि. वृत्त सीकर